fo/kku lHkk iz'u

विभाग का नाम	:	निर्वाचन विभाग
प्रश्न संख्या तारांकित	:	3257
उत्तर की तिथि	:	17-09-2020
विषयः–	:	स्टाफिंग पैट्रन
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री नरेन्द्र ठाकुर (हमीरपुर)
सम्बन्धित मंत्री	:	मुख्य मंत्री

iz'u		mRrj
क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे किः–		
(क)	यह सत्य है कि भारतीय चुनाव आयोग के दिशा–निर्देशों के तहत हर चुनाव क्षेत्र में staffing pattern लागू होगा; और	जी हाँ, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पत्र संख्याः 154/State Structure/2013 दिनांक 10-1-2014, 154/State Structure/2013-EPS/382, दिनांक 4-3-2014 व 154/State Structure/ 2013-EPS, दिनांक 4-3-2014 के अन्तर्गत निर्वाचन विभाग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय सहित समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं रिटर्निंग ऑफिसरों के कार्यालयों हेतु आदर्श संगठनात्मक संरचना एवं पद्धति (Model Organisational Structure & Pattern) लागू करने के दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।
(ख)	इसे प्रदेश में लागू कर दिया गया है; यदि नहीं, तो कब तक कर दिया जाएगा ?	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित उक्त स्टाफिंग पैट्रन को निर्वाचन विभाग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय सहित समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं रिटर्निंग ऑफिसरों के कार्यालयों में चरणवद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है तथा इन कार्यालयों हेतु आयोग के उक्त स्टाफिंग पैट्रन के अनुरूप ही स्टाफ उपलब्ध करवाया जा रहा है। वर्तमान में निर्वाचन विभाग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय व समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं रिटर्निंग ऑफिसरों के कार्यालयों हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित standard staffing pattern के अनुरूप विभाग के कार्यों व गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न श्रेणियों के 391 पद नियमित आधार पर व कम्प्यूटर प्रोफैशनलों के 115 पद आउटसोर्सिंग आधार पर स्वीकृत किए गए हैं। आयोग के स्टाफिंग पैट्रन के अनुसार शेष बचे हुए 188 पदों के सृजन का मामला सरकार के विचाराधीन है।